फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, शिव

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
अब्दुलखान पुत्र सदीकखान जाति मुसलमान, निवासी मेहरों की ढाणी तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (02)		अमराखान पुत्र सालिया जाति मुसलमान, निवासी मेहरों की ढाणी तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (14)

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन (धारा 251 ए) मुकदमा नम्बर 338/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.11.2024	प्रार्थी/वादी/अपीलाण्ट के वकील श्री **नरेन्द्रसिंह सियाग** ने यह प्रार्थना पत्र/राजस्व वाद/अपील धारा **251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक 16.12.24 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी शिव	3865-3866 02.12.2024
16.12.24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/विप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित। पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण इलतवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक 15.01.25 को पेश हो।	
15.01.25	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इलतवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 10.3.25 को पेश हो।	
10/3/2025	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित, विप्रार्थी सं. 1 से 3 व 5 से 12 की ओर अधिवक्ता हसन[illegible] वकालतनामा पेश किया, जो [illegible]। साथ ही विप्रार्थी सं. 04 की ओर से अधिवक्ता हसनखां ने अण्डर टेकिंग पेश की, विप्रार्थी सं. 13 को जारी नोटिस मय डिलीवरी रिपोर्ट, जो शामिल मिसल हो। पत्रावली वास्ते TDR मौका रिपोर्ट हेतु दि. 27/3/2025 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी (बाड़मेर)	विप्रार्थी संख्या 4 की ओर से UT ले रखा है। [signature]

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.10.28 11:59:25 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में जा...
08.09.25	पत्रावली पेश। वाकुलाल उपस्थित। पत्रावली एवं TDR शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। चूंकि TDR मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थिया की खातेदारी भूमि पूर्व में कदीम रास्ता डामर सड़क से जुड़ी हुई है, जो धारा 251 A के तहत नहीं आता है। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थी का खेत पूर्व में ही कदीम रास्ता से जुड़ा हुआ होने से प्रार्थी धारा 251 A के तहत आवागमन हेतु रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने से एवं उक्त आवेदन चलने योग्य नहीं होने से इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी शिव	

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.10.28 11:59:25 IST
Reason: SelfAttested